



Neutral Citation No. 2026:AHC:15169

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 227 /2026

वीरेंद्र सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

द्विजेंद्र प्रसाद प्रद्युम्न कुमार

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पटेल को सुना गया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 राजस्व परिषद सर्किट न्यायालय 2 आगरा को निर्देश दिया जाए कि वह पुनरीक्षण संख्या 149/2025 (कम्प्यूटराइज्ड मुकदमा संख्या 2025015000149) (अनिल कुमार सिंह बनाम वीरेंद्र सिंह और अन्य) को जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दायर किया गया है निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित करे।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि निजी प्रत्यर्थी गण द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34 के तहत चल रही कार्यवाही के दौरान तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर किया गया पुनरीक्षण प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद सर्किट न्यायालय 2 आगरा के समक्ष वर्ष 2025 से लंबित है। उन्होंने पुनरीक्षण के आधारों की प्रति राजस्व परिषद द्वारा दिनांक 8.5.2025 को पारित आदेश की प्रति और लंबित कार्यवाही की आदेशपत्र की प्रति प्रस्तुत की ताकि यह दर्शाया जा सके कि मामले की सुनवाई तेजी से आगे नहीं बढ़ रही है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उपर्युक्त कार्यवाही को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाए यह कार्य यथाशीघ्र और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर किया जाए जिसमें संबंधित पक्षों को कानून के अनुसार सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाए।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

21 जनवरी 2026

सी. प्रकाश

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"